5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

23

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल अधिकारी महोदय ग्वालियर कैंप उज्जैन (म.प्र.)

PBR/निगरानी/रतलाम/भू.रा/2018/0798

1. मदन पिता बालुजी जाति चमार,
   आयु करीब 45 वर्ष, धंधा खेती,
2. बद्री पिता रामचन्द्रजी जाति चमार
   आयु करीब 42 वर्ष, धंधा कृषि
   निवासीगण ग्राम खजुरिया, तहसील
   जावरा, जिला रतलाम म.प्र. :– प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

जगदीश पिता सुंदरलालजी जाति तेली
आयु 52 वर्ष, धंधा कृषि, निवासी ग्राम खजुरिया,
तहसील जावरा, जिला रतलाम म.प्र. :– प्रतिप्रार्थी/रेस्पॉन्डेन्ट

श्यामे-चतुर्वेदी अधि
आज दि. 30.1.18 को
प्रारंभिक तर्क हेतु
12.2.18 नियत।
30-1-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959
निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 18/12/2017 पारित श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय जावरा जिला रतलाम म.प्र. अन्तर्गत प्रकरण कमांक 1अ13/16–17 जगदीश विरूद्ध मदन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2018/0798

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 18-12-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण में आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन रास्ता अवरूद्ध किया जाना पाते हुए अनावेदक की ओर से प्रस्तुत म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन पत्र स्वीकार कर रास्ता खाले जाने का आदेश दिया गया है जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	